

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 111]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च 2024-चैत्र 2, शक 1946

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2024

एफ-1-1-1-04-2024-मेडि-सत्रह.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

(1) अनुसूची-एक "ई" "गैर-चिकित्सीय संवर्ग" के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची-एक-"फ"

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्रमांक	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य-सह-प्राध्यापक	18	द्वितीय-श्रेणी	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100 लेवल-12
2.	उप-प्राचार्य-सह-प्राध्यापक	18	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु. 56100 लेवल-12
3.	प्राध्यापक	22	-तदैव-	सातवे वेतनमान का वेतन रु.56100 लेवल-12"

(2) अनुसूची-दो "ई" "गैर-चिकित्सीय संवर्ग", के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

"अनुसूची-दो-फ"

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	पद का नाम	सेवा का नाम	पद की संख्या	पदों की संख्या		अभ्युक्तियां
				सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य- सह-प्राध्यपक	द्वितीय - श्रेणी	18	-	100%	कॉलम (6) में उल्लिखित पदों के लिए, यदि तत्समय पात्रताधारी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है अथवा यदि पदोन्नति के लिए विधिक बाधा है, तो पद सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जा सकेंगे।
2.	उप-प्राचार्य-सह -प्राध्यापक	-तदैव-	18	-	100%	-तदैव-
3.	प्राध्यापक	-तदैव-	22	-	100%	-तदैव-."

(3) अनुसूची-तीन “गैर चिकित्सीय संवर्ग”, के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

“अनुसूची-तीन-“अ”

(नियम 8(1) देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हताएं

विभाग का नाम	अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1.	प्राचार्य-सह - प्राध्यापक	37 वर्ष	शासन द्वारा यथानिर्धारित	शैक्षणिक संवर्ग हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् (आई. एन.सी.) द्वारा यथानिर्धारित	
	2.	उप-प्राचार्य-सह- प्राध्यापक	34 वर्ष	-तदैव-	-तदैव-	
	3.	प्राध्यापक	34 वर्ष	-तदैव-	-तदैव-	।”।

(4) अनुसूची-चार “शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय” के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाए, अर्थात्:-

“अनुसूची-चार-“अ”
(नियम 14(1) देखिए)

पदोन्नति का तरीका, आवश्यक अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

विभाग का नाम	अनुक्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	आवश्यक पात्रता एवं अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा	1.	उप-प्राचार्य-सह-प्राध्यापक	प्राचार्य-सह-प्राध्यापक	शैक्षणिक संवर्ग हेतु भारतीय उपचर्या परिषद् (आई.एन.सी.) द्वारा यथा निर्धारित	1. अध्यक्ष/सदस्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग -अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विभाग -सदस्य 3. आयुक्त/संचालक, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल सेवाएं -सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>4. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग संवर्ग का शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रथम श्रेणी संवर्ग का अधिकारी -सदस्य</p> <p>5. उप-सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग-सदस्य सचिव</p>
	2.	प्राध्यापक	उप-प्राचार्य- सह-प्राध्यापक	-तदैव-	-तदैव-
	3.	सह-प्राध्यापक	प्राध्यापक	-तदैव-	-तदैव-

F-1-1-1-04-2024-Medi.-XVII.

In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of the Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2023, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

- (1) after Schedule-I "E" 'Non-Medical Cadre', the following Schedule shall be added, namely:-

"SCHEDULE-I-'F'

(see rule 5)

Classification of the Service, pay scale of and number of posts included in the service

S.No.	Name of post	Number of posts	Classification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal-cum-Professor	18	Class-II	Pay of 7 th Scale Rs.56100 Level-12
2.	Vice-Principal-cum- Professor	18	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.56100 Level-12
3	Professor	22	-do-	Pay of 7 th Scale Rs.56100 Level-12."

(2) after 'Schedule-II "E" 'Non-Medical Cadre', the following Schedule shall be added, namely:-

"SCHEDULE-II-'F'

(see rule 6)

Method of recruitment

S. No.	Name of Post	Name of Service	Number of post	Number of the Posts		Remark
				By direct recruitment	By Promotion	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Principal-cum-Professor	Class-II	18	-	100%	For the posts mentioned in column (6), if eligible candidates are not available at that time or if there is legal hindrance for promotion, the posts may be filled by direct recruitment / deputation
2.	Vice-Principal-cum-Professor	-do-	18	-	100%	-do-
3.	Professor	-do-	22	-	100%	-do-".

(3) after Schedule-III, 'Non-Medical Cadre', the following Schedule shall be added, namely:-

“SCHEDULE-III-‘A’

[see rule 8(1)]

Age and Qualifications of persons to be made direct recruitment

Name of the Department	S. No.	Name of post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Public Health and Medical Education	1.	Principal-cum-Professor	37 years	As prescribed by the Government	As prescribed by Indian Nursing Council (INC) for Academic Cadre	-
	2.	Vice-Principal - cum-Professor	34 years	-do-	-do-	-
	3.	Professor	34 years	-do-	-do-	-”.

- (4) after Schedule-IV, 'Government Medical College', the following Schedule shall be added, namely:-

"SCHEDULE-IV-'A'

[see rule 14(1)]

Manner of promotion, required experience and members of Departmental Promotion Committee

Name of Department	S. No.	Name of post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is to be made	Required eligibility and experience	Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Public Health and Medical Education	1.	Vice-Principal-cum-Professor	Principal-cum-Professor	As determined by Indian Nursing Council (INC) for Academic Cadre	1. Chairman/Member/ Representative of Madhya Pradesh Public Service Commission - Chairman 2. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary / Secretary, Public Health and Medical Education Department - Member 3. Commissioner /Director, Nursing and Paramedical services - Member 4. Officer of Class-I Cadre belonging to Schedule Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes nominated by the Government - Member 5. Deputy Secretary, Public Health and Medical Education Department - Member- Secretary
	2.	Professor	Vice-Principal-cum-Professor	-do-	-do-
	3.	Associate Professor	Professor	-do-	-do-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुरभि गुप्ता, सचिव.